



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 28.06.2022

थाना रमाला में दाखिल मुकदमाती व एम0वी0 एक्ट के कुल- 45 वाहनों (जिनकी कुल कीमत 03 लाख 10 हजार रुपये) की नीलामी के सम्बन्ध में।

कार्यवाही-

दिनांक 27.06.2022 को मा0 न्यायालय के आदेशानुसार थाना रमाला पर वर्ष 2018 से वर्ष 2021 तक के मुकदमाती व एम0वी0 एक्ट के वाहनों की नीलामी श्रीमान तहसीलदार बडौत महोदय, श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बडौत व थानाध्यक्ष रमाला की उपस्थिति में की गयी। उक्त नीलामी में जनपद बागपत व आस पास के जनपदों के कुल- 23 कबाड़ियो ने हिस्सा लिया। जिसमें कुल- 45 वाहन (जिनकी कुल कीमत 03 लाख 10 हजार रुपये) चार पहिया/दो पहिया वाहनों की नीलामी की गयी



थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 117/22 धारा 323/504/506/308 भादवि में वांछित
01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15-05-2022 को थाना बिनौली पर वादी मनोज पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम सिरसलगढ थाना बिनौली ने सूचना दी कि दिनांक 14-05-2022 को उसका लडका विक्रान्त घर से खेत पर जा रहा था रास्ते में घात लगाए बैठे बादल, ललित व कपिल ने गाली-गलौच करते हुए लाठी-डंडो व रोड से उसके लडके के ऊपर हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 117/22 धारा 323/504/506/308 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 117/22 धारा 323/504/506/308 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.बादल मलिक पुत्र योगेश सिंह निवासी खेडी पट्टी थाना बावरी जनपद शामली, हाल पता ग्राम सिरसलगढ थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री आरिफ अब्बास ।

2-का0 11 रिकनपाल ।

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 157/2022 धारा 302 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा व 01 जिंदा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.06.2022 को थाना दोघट पर वादी फरजु पुत्र अहमद अली निवासी ग्राम पलडा थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि राशिद पुत्र खलील निवासी पलडा थाना दोघट व तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उसके बेटे फरमान (उम्र करीब 20 वर्ष) को सतपाल की नलकूप पर ले जाकर आँख में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया । इस सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 157/2022 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



मजरुब फरमान का ईलाज जीटीबी अस्पताल दिल्ली में चल रहा था, जिसकी जीटीबी अस्तपाल दिल्ली में ईलाज के दौरान दिनांक 26.06.2022 को मृत्यु हो जाने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 307 भादवि का विलोपन कर धारा 302 भादवि में तरमीम किया गया ।

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 157/2022 धारा 302 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खेखा व 01 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना दोघट पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- राशिद पुत्र खलील निवासी ग्राम पलडा थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खेखा व 01 जिंदा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री जनक सिंह चौहान थाना दोघट ।
- 2- निरीक्षक अपराध श्री शैलेन्द्र मुरारी दीक्षित ।

थाना रमाला पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1- अली हसन पुत्र सिमरु निवासी ग्राम असार थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री अमरदीप ।
- 2- का० 1061 अनुराग ।



थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 189/22 धारा 452/308/323/504/506 भादवि व 3(2)5ए एससी एसटी एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27-06-2022 को थाना छपरौली पर वादी श्री सुनील पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम रठौडा थाना छपरौली ने सूचना दी की उसके ही गांव के रहने वाले 1.हवा सिंह, 2.धीरज, 3.ब्रहमपाल, 4.चन्दकी ने उसके घर में घुसकर गाली-गलौच व लाठी-डंडो व सरिये से उसकी माता जी के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया जिससे वह बेहोस हो गई तथा जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना



छपरौली पर मु0अ0सं0 189/22 धारा 452/308/323/504/506 भादवि व 3(2)5ए एससी एसटी एक्ट पंजिकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 189/22 धारा 452/308/323/504/506 भादवि व 3(2)5ए एससी एसटी एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- हवा सिंह पुत्र धारा सिंह निवासी ग्राम रठौडा थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2- चन्दकी पुत्र धारा सिंह निवासी ग्राम रठौडा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ.नि. श्री राकेश त्यागी थाना छपरौली ।
- 2- का0 511 पवन थाना छपरौली ।
- 3- का. 908 योगेश थाना छपरौली।